संख्या-15/99/47-का-2014-9/10/2008टी.सी.II

प्रेषक,

एस0पी0 सिंह
विशेष कार्याधिकारी
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी
सेक्टर-डी, अलीगंज, लखनऊ।

कार्मिक अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 03 फरवरी, 2013

विषय- वित्तीय वर्ष 2013-14 में अनुदान संख्या-19 के लेखाशीर्षक (पूंजी लेखा) 4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-003-प्रशिक्षण-03-उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी-0302 डा0 राम मनोहर लोहिया राज्य प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी-24-वृहद निर्माण कार्य के मद में धनराशि के पुनर्विनियोजन की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, शासन के पत्र संख्या-1/23/47-का-3-14-9/10/2008टी.सी.II, दिनांक 03.01.2014 के क्रम में तथा उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी के पत्र संख्या-1353, दिनांक 02.12.2013 एवं पत्र संख्या-III-78Voll-III/1757, दिनांक 13.01.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-19 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक (पूंजी लेखा) 4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-003-प्रशिक्षण-03-उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी-0301 लोक सेवा प्रशिक्षण सुविधाओं का उन्नयन-24-वृहद निर्माण कार्य के मद में उपलब्ध बचतों की कुल धनराशि रू0-9,00,00,000/-(रूपये नौ करोड़ मात्र) में से अनुदान संख्या-19 के लेखाशीर्षक (पूंजी लेखा) 4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-003-प्रशिक्षण-03-उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी-0302 डा0 राम मनोहर लोहिया राज्य प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी-24-वृहद निर्माण कार्य के मद में रू0-1,00,00,000/-(रूपये एक करोड़ मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राप्त धनराशि के व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति इस शर्त के साथ महानिदेशक, उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, लखनऊ को प्रदान करते हैं कि उक्त धनराशि को आवश्यकतानुसार राजकोष से आहरित कर सक्षम अधिकारी की अनुमति से नियमानुसार व्यय किया जायेगा तथा उक्त बिल को अनुसचिव, नियुक्ति विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर धनराशि का आहरण महानिदेशक, उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी द्वारा किया जायेगा। बचत की मद में अतिरिक्त धनराशि की मॉग नही की जायेगी तथा स्वीकृत धनराशि का सम्पूर्ण उपयोग व्यावर्तन की मद में इसी वित्तीय वर्ष 2013-14 में कर लिया जायेगा। पुनर्विनियोग की धनराशि का किसी भी दशा में समर्पण स्वीकार नही किया जायेगा।

2- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय पंजी. संख्या-/ई-5/105/दस-2013, दिनांक 23 जनवरी, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उक्त सीमा तक शासनादेश संख्या-1/23-47-का-2014-9/10/2008टी.सी.।।, दिनांक 03 जनवरी, 2014 को संशोधित समझा जाये।

संलग्नक-प्रपत्र-बी.एम.-9.

भवदीय

(एस0पी0 सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

संख्या-15/99(1)/47-का-2014-9/10/2008टी.सी.।।, तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकादारी) प्रथम/ द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- विशेष सचिव, वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5.
4- विशेष सचिव, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ 2.
5- नियुक्ति अनुभाग-6 को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6- नियुक्ति अनुभाग-6 (लेखा कोष्ठक)।
7- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से

(एस0पी0 सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

http://shasanadesh.up.nic.in

फार्म बी.एम.–9(भाग–1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन

(बजट मैनुअल का प्रस्तर–158 देखें)

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भली–भॉति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या व नाम : अनुदान संख्या–19–कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) लेखाशीर्षक–4070–अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय–आयोजनागत–003–प्रशिक्षण–03–उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी–0302–डा0 राम मनोहर लोहिया राज्य प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी–24 वृहद निर्माण कार्य के सृजन हेतु अनुदान।

वित्तीय वर्ष 2013–2014 (धनराशि हजार रूपयों में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संकमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवेदन–पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संकमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संकमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संकमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (2–5)
1	2	3	4	5	6
अनुदान संख्या–19–लेखाशीर्षक–4070–अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय–आयोजनागत–003–प्रशिक्षण–03–उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी–0301–लोक सेवा प्रशिक्षण सुविधाओं का उन्नयन–24 वृहद निर्माण कार्य	90000	90000	90000	10000	80000
योग	90000	90000	90000	10000	80000

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संकमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल आय	संकमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9–8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संकमण की धनराशि	संकमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
अनुदान संख्या–19 के लेखाशीर्षक (पूंजी लेखा) 4070–अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय–003–प्रशिक्षण–03–उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी–0302 डा0 राम मनोहर लोहिया राज्य प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी–24–वृहद निर्माण कार्य	1	10001	90000	10000	10001
योग	1	10001	90000	10000	10001

(1) स्तम्भ–3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है :– 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 में लेखाशीर्षक अनुदान संख्या–19–लेखाशीर्षक–4070–अन्य प्रशासनिक सेवाएं– आयोजनागत–003–प्रशिक्षण–03–उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी–0301–लोक सेवा प्रशिक्षण सुविधाओं का उन्नयन–35–पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान में प्रावधानित धनराशि को शासन के निर्देशानुसार अनुदान संख्या–19 के लेखाशीर्षक (पूंजी लेखा) 4070–अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय–003–प्रशिक्षण–03–उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी–0302 डा0 राम मनोहर लोहिया राज्य प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी–24–वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत अन्तरित किये जाने का प्रस्ताव है।

(2) स्तम्भ–8 में उल्लिखित कार्यदायी संस्था का चयन शासन द्वारा किये जाने के उपरान्त 1 हजार टोकन मनी का प्रावधान किया गया है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट के प्रस्तर–150 व 151, में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/ परिसीमाओं का उल्लंघन नही होता है।

हस्ताक्षर
नाम व पदनाम
प्रशासकीय विभाग

(एस.पी. सिंह)
विशेष कार्याधिकारी,
कार्मिक विभाग,उ0प्र0 शासन।

संख्या–आर.ई.173/ई–5–105/2014, दिनांक 23.01.2014

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0
इलाहाबाद।

(देशराज सिंह)
अनु सचिव,
वित्त विभाग।

2/–

संख्या– /47–का–2014, तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– संबंधित विभागाध्यक्ष (नियंत्रक अधिकारी), महानिदेशक, उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी, सेक्टर–डी, अलीगंज, लखनऊ।
2– मुख्य/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ।
3– निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 (तीन प्रतियों में)

हस्ताक्षर

नाम व पदनाम – एस.पी. सिंह, विशेष कार्याधिकारी
प्रशासकीय विभाग – कार्मिक विभाग, उ0प्र0 शासन।

अनुदेश

(1) प्रत्येक अनुदान/ विनियोग के अन्तर्गत मतदेय और भारित व्यय से संबंधित पुनर्विनियोगों के लिए अलग–अलग आवेदन प्रस्तुत किए जाने चाहिए। भारित व्यय से सम्बन्धित प्रस्तावों में लेखाशीर्ष के साथ कोष्ठक में शब्द "भारित" अंकित कर दिया जाय।

(2) जिन लेखा शीर्षों में प्रभाव पड़ेगा उनका वर्णन व्यौरेवार अनुमानों और अनुदानों में दिये गये वर्णन के अनुरूप होना चाहिए।

(3) कालम–2 तथा 8 में मूल बजट प्रावधान, अनुपूरक प्रावधान और पुनर्विनियोगों की धनराशि व, जो प्रस्तावित पुनर्विनियोग के दिनांक तक अन्तर्गत यथाविधि स्वीकृत हुए हो, को सम्मिलित किया जाय।

(4) प्रपत्र के कालम–5, 6 व 11, 12 में वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत पुनर्विनियोग अंकित किया जायेगा।